

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 175/12

संस्थापन दिनांक :- 09/04/12

फाईलिंग नं. 233504006532012

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रु द्ध

प्रदीप पिता सुभाष, उम्र 19 वर्ष
निवासी बस स्टैंड के पीछे आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 14.03.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 09.04.2012 को समय 08:30 बजे रेल्वे पटरी के पास इंदिरा कॉलोनी आमला में सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञा पत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई, चौड़ाई का आयुध तलवारनुमा लोहे का चाकू अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 09.04.2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि रेल्वे पटरी के पास अवैध रूप से चाकू लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है जिस पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा तथा अभियुक्त को घेराबंदी कर हाथ में चाकू लिए रंगे हाथ पकड़ा। अभियुक्त द्वारा चाकू रखने बाबत कोई कागजात नहीं होना बताये जाने पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे का चाकू जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 138/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.04.2012 को समय 08:30 बजे रेल्वे पटरी के पास इंदिरा कॉलोनी आमला में सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञा पत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई, चौड़ाई का आयुध तलवारनुमा लोहे का चाकू अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 आर.के. दुबे (अ.सा.-4) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 09.04.2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ एवं हमराह साक्षी के साथ रेल्वे पटरी इंदिरा कॉलोनी पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में तलवारनुमा लोहे का चाकू लिए मिला जिस पर उसने अभियुक्त घेराबंदी कर पकड़ा एवं अभियुक्त द्वारा चाकू रखने के संबंध में दस्तावेज पेश न करने पर उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त से एक लोहे का तलवारनुमा चाकू जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 138/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल ए1 को वही तलवारनुमा चाकू होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।

6 बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने वर्ष 2012 में थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना प्रभारी आर.के. दुबे के साथ हमराह रेल्वे पटरी इंदिरा कॉलोनी जाकर अभियुक्त के चाकू लेकर घूमने पर उसे पकड़कर संपूर्ण कार्यवाही आर.के. दुबे द्वारा किया जाना प्रकट किया है।

7 अशोक (अ.सा.-1) एवं यादोराव (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षीगण ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे

जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए है।

8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अशोक (अ.सा.-1) एवं यादोराव (अ.सा.-2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर बिसनसिंह (अ.सा.-3) एवं आर.के. दुबे (अ.सा.-4) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

9 आर.के. दुबे (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर इंदिरा कॉलोनी जाना, अभियुक्त को घेराबंदी कर उससे लोहे का तलवारनुमा चाकू जप्त किया जाना एवं उसकी गिरफ्तारी उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने सूचना मिलने पर थाना प्रभारी आर.के. दुबे के साथ हमराह जाना बताया है एवं मौके पर अभियुक्त को पकड़ा जाना बताया है।

10 आर.के. दुबे (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जप्ती पत्रक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जप्तशुदा छुरी की नाप किससे की गयी। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा संलग्न नहीं किया गया है। बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि संपूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी के द्वारा की गयी थी। वह हमराह गया था उसने कोई भी कार्यवाही नहीं की थी।

11 जप्ती पत्रक जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। विवेचक साक्षी आर.के. दुबे के कथनों से जप्तशुदा छुरी की नापजोप किये जाने के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण प्रकट नहीं हो रहा है। रोजनामचा सान्हा भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि मौके पर अभियुक्त से आयुध जप्त किये जाने के उपरांत उसे सीलबंद किया गया हो। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकरण में जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।

12 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 09.04.2012 को समय 08:30 बजे रेल्वे पटरी के पास इंदिरा

कॉलोनी आमला में सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञा पत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई, चौड़ाई का आयुध तलवारनुमा लोहे का चाकू अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा। अतः अभियुक्त प्रदीप को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे का तलवारनुमा चाकू अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)